

# अंतिम डिक्री व मुकदमे इवतदाई

{ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी}

(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} श्रीकरणपुर  
ब इजलास श्री सुभाष चन्द्र आर.ए.एस.

जगमोहन सिंह बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान  
धारा अन्तर्गत 88 आरटीए मुकदमा नं. 140/2021  
निर्णय दिनांक :- 23.11.2021

यह मुकदमा आज वास्ते इनाफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी वादी स्वयं पेश होने पर आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि -  
वादपत्र वादी अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 भली-भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर चक 19 एच की जमाबन्दी सम्वत 2074 ता 77 के खाता संख्या 32/39 में जगमोहन सिंह पुत्र मलकू सिंह के स्थान पर जगमोहन सिंह पुत्र मलूक सिंह अंकित किये जाने के आदेश दिए जाते है। इस खाता के शेष अंकन व रहन बदनस्तुर रहेगे। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे।  
आज दिनांक 23.11.2021 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

6

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)}

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी  
{राजस्व} श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
श्री करणपुर

मुददई	रूपया	पैसा	मुदायली	रूपया	पैसा
स्टाम्प अरजीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	00	00
स्टाम्प वकालतनामा	00	00	स्टाम्प अरजी	00	--
स्टाम्प ड्यूटी	00	00	मेहनताना वकली पर	00	--
	02	00	योग	00	00



क्रमांक: राजस्व/ 2021/ 491  
प्रतिलिपि: तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ प्रेषित हो।

6

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)}

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी  
{राजस्व} श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

दिनांक: 30/11/21

6

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)}

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी  
{राजस्व} श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
श्री करणपुर